भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1048

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

6 श्रावण, 1945 (शक)

राष्ट्रीय एन्क्रिप्शन नीति को पुनर्जीवित किया जाना

1048. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उचित डेटा एन्क्रिप्शन ढांचे की कमी के कारण 2015 से डेटा उल्लंघनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के डेटा के लिए विभिन्न प्रकार के एन्क्रिप्शन के स्तर निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय एन्क्रिप्शन नीति को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस नीति को कब तक पुनर्जीवित करेगी;

(घ) आज के मौजूदा डिजिटल वातावरण में ट्रेसेबिलिटी (प्रथम प्रवर्तक) और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) एन्क्रिप्शन का उपयोग करने वाली घरेलू और विदेशी ऑनलाइन संचार सेवाओं के प्रसार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार एन्क्रिप्शन पर कोई कानून लाने की योजना बना रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट सभी प्रयोक्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह हो। डेटा उल्लंघन की घटनाएं विभिन्न कारकों के कारण होती हैं, जिनमें अपर्याप्त डेटा एन्क्रिप्शन, असुरक्षित सेवाओं का उपयोग, गलत कॉन्फ़िगरेशन, संदेहास्पद क्रेडेंशियल्स, मैलवेयर संक्रमण और तृतीय-पक्ष उल्लंघन शामिल हैं।

सरकार ने साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया है।

सर्ट-इन को दी गई और ट्रैक की गई सूचना के अनुसार 2015 से 2023 (जून तक) तक डेटा उल्लंघन की घटनाएं क्रमश: 0, 0, 2, 5, 11, 36, 39, 51 और 49 हैं।

(ख) और (ग): ऐसा कोई प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): डिजिटल नागरिक के लिए खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के सरकार के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम") द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

ये नए नियम मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं कि किस प्रकार की जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत या साझा किया जाना है।

उक्त नियमों के तहत, महत्वपूर्ण संदेशवाहक मध्यस्थ सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सुनिश्चित करेंगे, जब यह केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या सार्वजनिक व्यवस्था या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाने या बलात्कार, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री जो कम से कम पांच साल की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय है ; के संबंध में किसी अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

मध्यस्थ को किसी भी संदेश की सामग्री या पहले प्रवर्तक की किसी अन्य जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आईटी नियमों के तहत एन्क्रिप्शन के उल्लंघन की आवश्यकता नहीं है।

(च): जी, नहीं।

****